राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः एफ.19(2292) परि/लेखा/आजा./2012–13 /44272 जयपुर, दिनांकः– 6/3/14

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक एफ.19(2292)परि/लेखा/आजा 1999–2000 दिनांक 09.10.2002 के अनुसार परिवहन विभाग के उडनदस्तों में कार्यरत निरीक्षको/उप निरीक्षकों द्वारा संग्रहित राजस्व राशि सप्ताह में एक बार जमा कराई जा सकती है, वशर्ते राशि दस हजार रूपये से अधिक न हो । संग्रहित राशि उक्त सीमा से अधिक होने पर अगले कार्य दिवस को ही राज्य कोष में जमा कराने के निर्देश दिये गये थे। विभागीय आंतरिक जाँच दलो द्वारा अधीनस्थ प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालयों में आन्तरिक अकेक्षण के दौरान निरीक्षको/उप निरीक्षकों द्वारा संग्रहित राशि निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा नहीं पाये जाने पर, विलम्ब के लिए ब्याज/शास्ति की गणना, राजस्थान मोटर वाहन करारोपण नियमों के अन्तर्गत 1.5 प्रतिशत **प्रतिमाह अथवा उसके किसी भाग के लिए** गणना कर आक्षेप गठित किये गये है।

विभाग में कराधान अधिकारी द्वारा राजस्थान मोटर वाहन कराधान नियम 1951 के नियम 8 के अन्तर्गत वाहन स्वामी द्वारा विलम्ब से जमा कराये गये कर पर शास्ति 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से अवधारित/वसूल किये जाने का प्रावधान है। किन्तु निरीक्षको/उप निरीक्षकों द्वारा संग्रहित राजस्व (जो वाहन स्वामियो से समय पर वसूल कर) विभाग द्वारा निर्धारित समय अवधि के पश्चात/विलम्ब से राज्य कोष में जमा कराया गया है, के लिए ब्याज (1.5 प्रतिशत प्रतिमाह) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमो के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारी द्वारा विलम्ब से जमा राशि पर देय ब्याज की भाति (विलम्ब के दिवसो हेतु) गणना कर वसूल की जावेगी।

अतः समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उनके अधीन कार्यरत निरीक्षको/उप निरीक्षको द्वारा संग्रहित राजस्व को निर्धारित अवधि पश्चात/विलम्ब से जमा राशि के प्रकरणों मे, उक्तानुसार ब्याज की अविलम्ब वसूली कर, सम्बंधित आक्षेपों की अनुपालना मुख्यालय को भिजवावें।

(मुकेश शर्मा)
परिवहन आयुक्त
एवं प्रमुख शासन सचिव

44273-276
6/3/14

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. महालेखाकर राजस्थान, जयपुर।
2. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी, ...(समस्त) ।
3. उप परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) .....(समस्त)।
4. सहायक लेखाधिकारी, प्रभारी आन्तरिक जाँच दल मुख्यालय।

6/3/14
वित्तीय सलाहकार